प्रधानआयुक्तसीमाशुल्क(आयात) का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT),
हवाईमाल परिसर, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400099
AIR CARGO COMPLEX, SAHAR, ANDHERI (E), MUMBAI – 400099
Email: Pro.acc-sahar@gov.in

दिनांक: 08.04.2026

सार्वजनिक सूचना संख्या: 02/2026-27

विषय: ICEGATE 2.0 पर सिस्टम-आधारित परीक्षा आवेदन के माध्यम से आयातित माल के भौतिक परीक्षण का निर्धारण (कार्गो परीक्षण का ई-शेड्यूलिंग)

आयातकों, कस्टम ब्रोकर्स तथा अन्य सभी हितधारकों का ध्यान CBIC के परिपत्र संख्या 07/2026-कस्टम्स दिनांक 01.02.2026 तथा इस कार्यालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना संख्या 74/2025-26 दिनांक 10.02.2026 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें आयातित माल के परीक्षण में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने हेतु सिस्टम-आधारित उपायों की शुरुआत के संबंध में बताया गया है।

2. उपर्युक्त पहलों की निरंतरता में तथा डिजिटल प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, ऑडिटेबिलिटी में सुधार करने और कार्गो क्लीयरेंस में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से, ICEGATE 2.0 पर एक सिस्टम-आधारित परीक्षा आवेदन विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से आयातित माल के भौतिक परीक्षण का शेड्यूल निर्धारित किया जा सके (कार्गो परीक्षण का ई-शेड्यूलिंग)। यह आवेदन आयात कार्गो के परीक्षण के प्रबंधन के लिए एक संरचित, पारदर्शी एवं तकनीक-आधारित व्यवस्था प्रदान करता है।

3. यह आवेदन आयातकों/IEC धारकों तथा अधिकृत कस्टम ब्रोकर्स को ICEGATE के माध्यम से पंजीकृत माल के परीक्षण को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेड्यूल करने, देखने तथा पुनः शेड्यूल करने की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही संबंधित अधिकारियों, आयातकों, कस्टम ब्रोकर्स तथा कस्टोडियनों को स्वचालित प्रणाली-जनित सूचनाएं भी भेजी जाती हैं।

4. इस सुविधा का पायलट आधार पर परीक्षण किया जा चुका है और अब इसे सभी ICDs तथा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में लागू किया जा रहा है, जिसे आगे चरणबद्ध तरीके से अन्य स्थानों पर भी विस्तारित किया जाएगा।

5. ई-शेड्यूलिंग सुविधा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(क) उपलब्धता के आधार पर सिस्टम द्वारा परीक्षण स्लॉट स्वतः ही परीक्षण अधिकारी को आवंटित किए जाते हैं, जिससे अनिश्चितता और अनावश्यक देरी कम होती है।

(ख) व्यापारिक पक्ष लंबित, निर्धारित तथा पूर्ण किए गए परीक्षणों को ऑनलाइन देख सकता है।

(ग) आवश्यकता होने पर परीक्षण का पुनः शेड्यूलिंग इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है, जिसमें संबंधित अधिकारी, आयातक, कस्टम ब्रोकर तथा कस्टोडियन को प्रणाली द्वारा सूचना दी जाती है।

(घ) स्वचालित सूचनाओं के आधार पर कस्टोडियन परीक्षण क्षेत्र में माल की अग्रिम व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कार्गो हैंडलिंग अधिक कुशल बनती है।

6. ई-शेड्यूलिंग सुविधा पारदर्शी एवं नियम-आधारित तरीके से संचालित होती है, जिसमें प्रणाली-जनित ऑडिट ट्रेल और परीक्षण की स्थिति की वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध रहती है। किसी भी प्रकार के संशोधन जैसे पुनः शेड्यूलिंग, परीक्षण को रोकना या बिल ऑफ एंट्री को परीक्षण शेड्यूल से हटाना केवल प्रभारी सहायक/उप आयुक्त द्वारा ही उचित कारण दर्ज करते हुए किया जाएगा।

7. इसके अतिरिक्त, ICEGATE द्वारा दिनांक 05.02.2026 को आयातकों एवं अधिकृत कस्टम ब्रोकर्स के लिए परीक्षा आवेदन संबंधी एक परामर्श (Advisory) जारी किया गया है। इसमें आवेदन तक पहुंच, परीक्षण शेड्यूलिंग अनुरोध प्रस्तुत करने, परीक्षण स्लॉट देखने एवं पुनः शेड्यूल करने, परीक्षण की स्थिति का ट्रैक रखने तथा ICEGATE 2.0 पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के उपयोग हेतु विस्तृत चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। यह परामर्श संदर्भ हेतु संलग्न है।

8. सभी आयातकों, कस्टम ब्रोकर्स, कस्टोडियनों एवं संबंधित हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे आयातित माल के समय पर परीक्षण एवं क्लीयरेंस हेतु इस सुविधा का प्रभावी उपयोग करें।

9. इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई आती है, तो उसे अतिरिक्त आयुक्त कस्टम्स, टेक्निकल (आयात), ACC, मुंबई के संज्ञान में (ईमेल: pro.acc-sahar@gov.in)

लाया जा सकता है। सहायता, स्पष्टीकरण एवं जानकारी के लिए आयातक एवं कस्टम ब्रोकर्स TSK (तुरंत सुविधा केंद्र) हेल्प डेस्क से ईमेल: tsk.accmumbaizone3@gov.in या दूरभाष: 022-26816696 पर संपर्क कर सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट https://mumbaicustomszone3.gov.in पर जा सकते हैं।

मनीष चन्द्रा

(मनीष चन्द्रा)

प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (आयात)

ACC, मुंबई

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य आयुक्त कस्टम, मुंबई कस्टम जोन-III, मुंबई।
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त कस्टम (सामान्य एवं निर्यात), ACC, मुंबई।
3. सभी अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त कस्टम (आयात), ACC, मुंबई।
4. सभी अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त कस्टम (सामान्य एवं निर्यात), ACC, मुंबई।
5. सभी उप/सहायक आयुक्त कस्टम (आयात), ACC, मुंबई।
6. व्यापार संघ।
7. कस्टम ब्रोकर संघ (BCBA)।
8. MIAL / एयर इंडिया।
9. EDI अनुभाग (वेबसाइट पर अपलोड हेतु) ।
10. कार्यालय प्रति।